PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Tue, 09 May 2017, Page 11
Width: 24.38 cms, Height: 24.05 cms, a3r, Ref: 6.2017-05-09.105

एक जुलाई से ही लागू होगा जीएसटीः जेटली

टोक्यो। जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू होगा और इससे वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, हालांकि कुछ सेवाओं की कीमतों में मामूली बढ़ोत्तरी हो सकती है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही है। सीआईआई-कोटक निवेशकों की राउंड टेबल को संबोधित करते हुए जेटली ने यहां कहा कि जीएसटी परिषद अगले कुछ दिनों में अलग-अलग वस्तुओं व सेवाओं पर कर की दरों को अंतिम रूप दे देगी।

उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा अप्रत्यक्ष कर ढांचा काफी जटिल है। अभी तक पूरा देश कई बाजारों में विभाजित था। इसलिए वस्तुओं व सेवाओं की मुक्त आवाजाही संभव नहीं थी। अब जीएसटी के जरिए पूरे देश में केवल एक ही कर होगा। एजेंसी

पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी

जेटली ने कहा है कि देश में नोटबंदी के बाद पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है और इस कदम से देश का कर आधार बढ़ेगा। सीआईआई, भारतीय दूतावास और जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा यहां 'भारत का कारोबारी वातावरण: सुधार और अवसर' पर एक संवाद सत्र में जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा नकदी आधारित है। इस समस्या को दूर करने की जरूरत है।

हालत सुधरने के बाद बिकेगी बैंकों की हिस्सेदारी

जेटली ने कहा कि सरकार, सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52 फीसदी कर सकती है लेकिन ऐसा बैंकों की हालत सुधरने के बाद ही किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जो धन मिलेगा उसका इस्तेमाल बैंकों में पूंजी बढ़ाने में किया जाएगा। जेटली ने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा आरबीआई को अधिक अधिकार दिए जाने से बढ़ रहे बुरे कर्ज (एनपीए) की समस्या का समाधान जल्द हो सकेगा।